



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17052021-227001

CG-DL-W-17052021-227001

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15—मई 21, 2021 (वैशाख 25, 1943)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15—MAY 21, 2021 (VAISAKHA 25, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2021

सं. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के
उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 16.04.2021 को चयन समिति की दिनांक
19.02.2021 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2019 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त
असम-मेघालय संवर्ग (मेघालय खंड) में 01 मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु मेघालय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल
किया गया है।

चयन सूची 2019

अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
विवेक संयम	11.12.1975

डी. के. घोष, अवर सचिव

सं. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग (मेघालय खंड) प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2019

अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
विवेक सईएम	11.12.1975

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

डी. के. घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली-01, दिनांक 4 मई 2021

सं. I-18011/02/2019—आई.पी.एस.-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रल्हाद सहाय मीना, भा.पु.से. (ओडिशा: 2017) को दिनांक 18.12.2019 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

सं. I-18011/02/2021—आई.पी.एस.-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री उदय सिंह मीना, भा.पु.से. (हरियाणा: 2016) को दिनांक 18.12.2019 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

सं. I-18011/07/2021—आई.पी.एस.-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रदीप ए., भा.पु.से. (तमिलनाडु: 2017) को दिनांक 28.08.2019 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 19 अप्रैल 2021

सं. ए. 12025/17/2019-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय ने डॉ. रितु सिंह को दिनांक 04.07.2019 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

विवेक नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th April 2021

No. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission, on 16.04.2021, has approved the Select List of the year 2019 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 19.02.2021, containing the name of the following State Police Service Officers of Meghalaya towards filling up of 01 substantive vacancy in the Assam-Meghalaya Joint Cadre (Meghalaya Segment) of Indian Police Service:—

Select List 2019

Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
Vivek Syiem	11.12.1975

D. K. GHOSH, Under Secretary

No. I-14011/10/2020-IPS-I (E) (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Meghalaya Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Assam-Meghalaya Joint Cadre (Meghalaya Segment) Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2019

Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
Vivek Syiem	11.12.1975

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10-05-2011.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

D. K. GHOSH, Under Secretary

New Delhi-01, the 4th May 2021

No. I-18011/02/2019-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Shri Prahlad Sahai Meena, IPS (OD: 2017), in the Indian Police Service with effect from 18.12.2019.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/02/2021-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Shri Udai Singh Meena, IPS (HY: 2016), in the Indian Police Service with effect from 18.12.2019.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/07/2021-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Shri Pradeep A, IPS (TN: 2017), in the Indian Police Service with effect from 28.08.2019.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 19th April 2021

No. A.12025/17/2019-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Ritu Singh to the post of Assistant Professor of Pediatric in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 04.07.2019 and until further orders.

VIVEK NARAYAN, Under Secretary